अत्यावश्यक

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक - न.नि. 50-14/2022 - **1561**

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।

पटना, दिनांक - **23.04.2022**

विषय : नगरपालिका का आम निर्वाचन 2022 : मतदाता सूची के लिए रिवाईजिंग अथॉरिटी की नियुक्ति के संबंध में।

प्रसंग : आयोग की अधिसूचना संख्या 1560 दिनांक 23.04.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आयोग की प्रासंगिक अधिसूचना द्वारा राज्य में पदस्थापित अनुमंडल दण्डाधिकारियों को उनके क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली सभी नगरपालिकाओं यथा - नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायत के लिए मतदाता सूची तैयार करने हेतु निबंधन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 11 अन्तर्गत मतदाता सूची में किसी नाम की प्रविष्टि करने से संबंधित दावे अथवा किसी नाम की प्रविष्टि से संबंधित आपत्ति के निष्पादन के उद्देश्य से **निबंधन पदाधिकारी द्वारा रिवाईजिग अथॉरिटी की नियुक्ति का प्रावधान है।**

3. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रिवाईजिंग अथॉरिटी की नियुक्ति के संबंध में निम्न निदेश दिया जाता है :-

(i) निबंधन पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर से अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को रिवाईज़िंग अथॉरिटी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

(ii) निबंधन पदाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली किसी नगरपालिका के लिए आवश्यकतानुसार एक से अधिक रिवाईजिंग अथॉरिटी की नियुक्ति की जा सकती है।

(iii) नगरपालिका का कोई भी अधिकारी या सेवक रिवाईजिंग अथॉरिटी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। परन्तु कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निबंधन पदाधिकारी एवं रिभाईजिंग अथॉरिटी के इस नियमावली के द्वारा अधिरोपित उनके कर्त्व्यों के निष्पादन हेतु सभी आवश्यक सहयोग दिया जाएगा।

(iv) रिभाईजिंग अथॉरिटी इस नियमावली के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन हेतु कार्यपालक पदाधिकारी से उसकी शक्ति अथवा अधिकार में रखे गये सभी संगत अथवा आवश्यक दस्तावेजों या कागजातों को प्रस्तुत करने हेतु कह सकेगा।

4. नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र ही संसूचित किया जायेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) से अनुरोध है कि रिवाईजिंग अथॉरिटी की नियुक्ति हेतु पदाधिकारियों की सूची अभी से तैयार कर जिला स्तर पर रखी जाये, ताकि आयोग से मतदाता सूची की तैयारी हेतु कार्यक्रम प्राप्त होते ही उनकी नियुक्ति संबंधी आदेश उनके स्तर से बिना विलम्ब के निकाला जा सके।

विश्वासभाजन,

23/4/22

सचिव।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

D:\pm5\NGR_22.pmd\55

23/4/22

ज्ञापांक - न.नि. 50-14/2022 - **1561** पटना, दिनांक - **23.04.2022**

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-14/2022 - **1561** पटना, दिनांक - **23.04.2022**

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-14/2022 - **1561** पटना, दिनांक - **23.04.2022**

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

D:\pm5\NGR_22.pmd\56